दिनांक 30.10.2012 को उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के मुख्यालय भवन के सभाकक्ष में प्रो0 दुर्ग सिंह चौहन, मा0 कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने प्रतिभाग किया:–

1	प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान, मा0 कुलपति	–	अध्यक्ष
2	श्री अवनीश जैन, कुलसचिव	–	पदेन सचिव
3	प्रो0 आर0के0 सिंह, परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य
4	डॉ आशीष उनियाल, उप–परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य
5	श्री एस0पी0 सचान, विशेष कार्याधिकारी	–	सदस्य
6	श्री एस0पी0एस0 रावत, सहायक कुलसचिव	–	सदस्य
7	श्री अवधेष नौटियाल, उप–परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य
8	श्री किशन कुमार, निदशक, देहरादून इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, देहरादून	–	सदस्य
9	डॉ0 आर0सी0 पाण्डे, प्राचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान, देहरादून	–	सदस्य
10	प्राचार्य, सरदार भगवान सिंह पी0जी0 कालेज, बालावाला, देहरादून	–	सदस्य
11	डॉ0 विलास जहॉगिरधार, प्राचार्य, वीर चन्द सिंह गढवाली आर्युविज्ञान संस्थान, श्रीनगर	–	सदस्य
12	प्रो आर0एच0 गोरने, प्राचार्य, सिद्वार्थ लॉ कालेज, देहरादून	–	सदस्य
13	डॉ0 प्रतीक्षा जुयाल, प्राचार्य, ब्लू माउण्टेन कालेज ऑफ एजूकेशन, देहरादून	–	सदस्य
14	डॉ0 एच0सी0 शर्मा, डीन, गोविन्द बल्लभ पंत, पंतनगर	–	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

1 न्यायमूर्ति के0डी0 शाही, मानद डीन लॉ कालेज, देहरादून।

2 श्री आर0आर0 अग्रवाल, सेना निवृत्त, जिला जज एवं अवैतनिक निदेशक, सिद्वार्थ लॉ कालेज, देहरादून।

बैठक में सदस्यों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी:–

मद संख्या	विनिश्चय
मद संख्या:– (1) विद्या परिषद की तृतीय बैठक का अनुमोदन।	विद्या परिषद में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से विद्या परिषद की तृतीय बैठक का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या:– (2) (I)- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित *AICTE* से अनुमोदित *B.Tech/B.Pharm/B.HMCT/B.Arch* पाठ्यक्रमों में 4 विषयों से अधिक अनुत्तीर्ण छात्रों को पुनः उसी पाठ्यक्रम में ही अगले सत्र में द्वितीय वर्ष में प्रवेश नही दिये जाने का प्रावधान नही है अर्थात ऐसे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार प्रोन्नत नही किया जा रहा है। उक्त प्रकरण विद्या परिषद के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (II)- अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रोन्नति हेतु परीक्षा एवं ग्रीष्मकाल में कक्षाएं आयोजित किया जाना। उक्त के सम्बन्ध में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	1. विद्या परिषद के सदस्यो द्वारा अनुमोदित किया गया कि AICTE से अनुमोदित B.Tech, B.Pharm, B.HMCT तथा B.ARCH पाठ्यक्रमों में चार विषयों से अधिक अनुत्तीर्ण छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रवेश देने की अनुमति नही दी जायेगी अर्थात ऐसे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार प्रोन्नत नही किया जायेगा। 2. सदस्यों ने सहमति व्यक्त की कि अनुत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रोन्नति हेतु ग्रीष्म कालीन अवकाश पर दो तकनीकी संस्थानो में कक्षायें आयोजित की जायें। यह निर्णय विधि पाठ्यक्रमों पर लागू नही होगा जिसके लिए अलग से ordinances बनाये गये हैं। इस विषय पर अनुपूरक कार्य सूची मद संख्या 21 (अन्य बिन्दु) के अन्तर्गत विस्तार से चर्चा की गयी है।

मद संख्याः– (3) B.Ed सत्र 2012–13 में निजी संस्थानों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा एवं काउंसिलिंग का आयोजन किया गया था। काउंसिलिंग के उपरान्त भी अनेक सीटें रिक्त रह गई थी। इन सीटों पर संस्थानों द्वारा पुनः *NCTE* नियमानुसार प्रवेश परीक्षा एवं काउंसिलिंग कराने हेतु मौखिक अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय से 25 निजी बी0एड0 संस्थान सम्बद्व है तथा जिन्हें सत्र 2012–13 *NCTE* द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं इन संस्थानों की सत्र–2012–13 की सम्बद्वता रिपोर्ट शासन/राजभवन प्रेषित कर दी गई है परन्तु पूर्व से संचालित छः *B.Ed* निजी संस्थानों के सम्बद्वता की पत्रावली शासन में लम्बित है। कृपया उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए, दिशा निर्देशानार्थ एवं प्रवेश हेतु नीति निर्धारित करने हेतु प्रस्तुत।	B.Ed सत्र 2012–13 में निजी संस्थानों के रिक्त सीटों के प्रवेश हेतु सदस्यो को मा0 कुलपति महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि शासन को पत्र इस आश्य के साथ प्रेषित किया गया है कि रिक्त सीटों को भरने की प्रकिया क्या रहेगी। मा0 कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि यदि शासन अनुमति देता है तो प्रवेश परीक्षा पुनः आयोजित की जा सकती है। इस विषय में शासन का उत्तर अभी तक विश्वविद्यालय को प्राप्त नही हुआ है। सदस्यों ने मा0 कुलपति महोदय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
मद संख्याः– (4) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह माह नवम्बर, 2012 में आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिस हेतु तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्व प्रत्येक संस्थान को पिछले वर्ष की भाति रू0 250/– प्रति छात्र उपाधि शुल्क के रूप में विश्वविद्यालय जमा करने का प्रस्ताव है। उपाधि शुल्क रू0 250/– प्रति छात्र किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	मा0 कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह 28.11.2012 को FRI सभागार में आयोजित किया जायेगा तथा प्रत्येक संस्थान से पिछले वर्ष की भॉति रू0 250/– प्रति छात्र उपाधि शुल्क ली जायेगी। सदस्यों द्वारा कुलपति महोदय के प्रस्ताव का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।
मद संख्याः– (5) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय में सत्र 2011–12 तथा 2012–13 से *M.Pharm* तथा *M.Tech* पाठ्यकम्रों की कक्षायें प्रवेश परीक्षा एवं काउंसिलिंग के माध्यम से संचालित की जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2012–13 के लिये *M.Pharm* हेतु रू0 65000/– प्रति सैमेस्टर तथा *M.Tech* हेतु रू0 35000/– प्रति सैमेस्टर शुल्क निर्धारित किये गये है। उक्त पाठ्यकम में प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2012–13 से MPharm कि रू0 65000/– प्रति सेमेस्टर तथा M.Tech हेतु रू0 35000/– प्रति सेमेस्टर शुल्क निर्धारित किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

मद संख्या:– (6) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा *Academic Calendar and National Charter of Examination* तैयार किया गया है जिसे पताका *(x)* में देखा जा सकता है। उक्त के सम्बन्ध में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा Academic Calander एवं National charter of examination का अनुमोदन किया गया साथ ही सदस्यों ने व्यवसायिक पाठ्यकमों को अन्य पाठ्यकमों के साथ जोडने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया। विधि पाठ्यकमों हेतु तैयार किया गया Academic calendar अनुपूरक कार्य सूची मद सख्या 21 के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है।
मद संख्या:– (7) *MBA* सत्र–2012–13 के लिये संशोधित *Syllabus* की संस्तुति विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	विद्या परिषद कि बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से MBA सत्र–2012–13 के लिये संशोधित syllabus का अनुमोदन किया।
मद संख्या:– (8) *AIEEE-2012-13* की काउंसिलिंग *NIC* द्वारा *Online* के माध्यम से आयोजित की गयी थी, परन्तु अभ्यर्थियों के कम रूझान को देखते हुये विभिन्न तकनीकी संस्थानों को शासन के अनुमोदन के उपरान्त यह आदेश दे दिया गया कि वे अपने स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कर रिक्त *AIEEE* की सीट 10+2 में प्राप्त अंको के आधार पर उक्त प्रवेश सम्बन्धी विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। इसी प्रकार *UKSEE* की काउंसिलिंग भी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में उत्तीण छात्र/छात्राओं के लिये आयोजित की गई।	इस संबंध में सदस्यों को मा0 कुलपति महोदय ने अवगत कराया कि प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन से विचार विर्मश एवं सहमति के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा समस्त संस्थानों को निर्देशित किया गया था कि रिक्त सीटों पर अपने स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कर AIEEE अथवा 10+2 के आधार पर मेरिट से अपने–अपने संस्थानों में प्रवेश प्रकिया पूर्ण कर ली जायें। जो कि संस्थानों द्वारा पूर्ण की जा चुकी है। मा0 कुलपति महोदय द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि UKSEE की काउंसिलिंग भी विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी जा चुकी है।
मद संख्या:– (9) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक संस्थानों के लिये *fee Tuition Fees Per Semester Rs. 25000/-, Rs. 2500/- Per Annum (Refundable), Rs. 3000/- University Examination and other University Fees Per Semester* निर्धारित की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय के सधटक संस्थानों के लिये निर्धारित पाठ्यकम शुल्क रू0 25000/– प्रति सेमेस्टर, रू0 2500/– वार्षिक धरोहर राशि तथा रू0 3000/– परीक्षा शुल्क का अनुमोदन किया।
मद संख्या:– (10) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के अवसर पर निम्न पाठ्यकमों में छात्र/छात्राओं को डिग्री प्रदान की जानी प्रस्तावित है। अनुमानित छात्र संख्या निम्नवत् है। (सूची संलग्न है।) Ph.D - 12 MBA - 1583	बैठक में उपस्थित सदस्यो ने उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के अवसर पर छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली डिग्री 6839 (12 पी0एच0डी0) सहित प्रदान करने का अनुमोदन किया।

B.Tech - 4052 M.Tech - 88 MCA - 478 B.Pharm - 478 B.Arch - 36 BHMCT - 112 Honoris Causa - 1	
<u>मद संख्याः– (11)</u> उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के अवसर पर विशिष्ट अतिथियों को मानद उपाधि से विभूषित किया जाना है। उक्त के सम्बन्ध में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	बैठक में उपस्थित सदस्यों को मा0 कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया कि प्रो0 अनिल काकोड़कर को डी0एस0सी0 की मानद उपाधि से विभूषित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसे सदस्यों ने सहर्ष स्वीकृर्ति प्रदान की।
<u>मद संख्याः– (12)</u> उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में इंजनियरिंग मैनेजमेन्ट, फार्मेसी, होटल मैनेजमेन्ट के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वर्ष 2011 में 70प्रतिशत व इससे अधिक प्राप्तांकों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को उपाधियॉ समारोह में प्रदान किये जाने तथा अन्य उत्तीण छात्र/छात्राओं को उपाधियों को अनुपस्थिति में उपाधियों का अनुमोदन तथा वितरण सम्बन्धित कालेज/संस्थान द्वारा ही प्रदान किये जाने पर विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
<u>मद संख्याः– (13)</u> आई0एम0ए0 के आर्मी के *Gentleman Cadet/Army officer Trainning* लोगों को, जो कि 10+2 पास की शैक्षिक योग्यता रखते है उनको एक वर्ष के *Diploma Certificate* एवं जिनकी शैक्षिक योग्यता *10th Standard* के एक वर्ष का *Certificate* कोर्स प्रारम्भ किये जाने पर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को मा0 कुलपति महोदय ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी तथा यह भी अवगत कराया कि देश के अन्य विश्वविद्यालय भी Gentleman Cadet/Army officer training के लोगों को एक वर्ष का Diploma Certificate देते आ रहे है। अतः उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय भी यह सुविधा Gentleman Cadet/Army officer training को प्रदान कर सकता है। इस सम्बन्ध में सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त करते हुये यह प्रकिया विश्वविद्यालय में तत्काल प्रभाव से लागू करने का सुझाव दिया।
<u>मद संख्याः– (14)</u> विभिन्न पाठ्यकमों जैसेः– MBA, M.Tech, MPharm, B.Ed, B.P.Ed, MHM, BHM पाठ्यकमों के लिये विभिन्न अवसरों पर BOS विश्वविद्यालय द्वारा	बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा विभिन्न पाठ्यकमों जैसेः– MBA, M.Tech, MPharm, B.Ed, BPED, MHM तथा BHM पाठ्यकमों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अवसरो पर BOS आयोजित किये जाने का अनुमोदन किया गया। अन्य व्यवसायिक पाठ्यकमों हेतु

आयोजित की गयी थी। सम्बन्ध में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। उक्त पाठ्यकमों के अनुमोदनार्थ एवं अन्य प्रारम्भ किये जा चुके अथवा इस सत्र में आरम्भ होने वाले पाठ्यकमों को जिनकी BOS अभी तक नही हो पायी है, ऐसे पाठ्यकमों को अस्थाई रूप से HNBGU के पाठ्यकमों के अनुसार संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने पर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा समिति की बैठकों के विनिश्चय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	सदस्यों द्वारा यह राय वयक्त की गयी कि जिन पाठ्यकमों की BOS नही हुई तब तक उन पाठ्यकमों हेतु HNBGU, श्री. नगर (गढ़वाल) का पाठ्यकम लागू किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन पाठ्यकमों हेतु BOS गठित कर निकट भविष्य में बैठक आयोजित कि जायें। सदस्यों द्वारा परीक्षा समिति की बैठकों के विनिश्चय का अनुमोदन किया गया।
मद संख्याः– (15) विश्वविद्यालय द्वारा *Regulation for Degree of Doctor of Science (D.Sc) Effective from Academic Session 2011-2012.* विचारार्थ प्रस्तुत है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा शोधकर्त्ताओं के लिये आवश्यक निदेश भी दिये गये है।	इस बिन्दु पर प्रकाश डालते हुये मा0 कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि Regulation for Degree of Doctor of Science (D.SC) effective form Academic Session 2011-2012 तथा शोधकर्त्ताओं के लिये आवश्यक निर्देश निर्धारित करने से शोधकर्त्ताओं के लिये शोधपत्र बनाने में विशेष सुविधा मिल सकती है, तथा शोधपत्र गुणवत्ता के आधार पर उच्च श्रेणी का बन सकता है। सदस्यो द्वारा मा0 कुलपति महोदय के प्रयासों का समर्थन करते हुये अपनी सहमति प्रकट की।
मद संख्याः– (16) पूर्व जारी किये गये विभिन्न *ordinances* उन्हे पुनः अनुमोदित करने के सम्बन्ध में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा जारी कियें ordinances का अनुमोदन किया।
मद संख्याः– (17) विभिन्न पाठ्यकमों जैसेः– बी0टैक0/एम0टैक0/एम0बी0ए0 *courses* पारित पाठ्यकमों के लिये *BOS* द्वारा पारित *Syllabus* विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने विभिन्न पाठ्यकमों बी0टैक0/एम0टैक0/एम0बी0ए0 पाठ्यकमों का अनुमोदन किया।
मद संख्याः– (18) विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर जारी किये गये *ordinances* विचारार्थ प्रस्तुत हैः– 1. M.Tech (Sequential) 2. M.Tech (R) 3. Ph.D (part time monitered/semester) 4. Integrated Ph.D with M.Tech(R) 5. Industry experience Ph.D, M.Tech	बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर किये गये ordinances M.tech (sequential), M.Tech(R), M.Pharm, Ph.D (Part time monitered/semester), Integrated Ph.D with M.Tech(R), Industry experience Ph.D, M.Tech का अनुमोदन किया गया। सदस्यों द्वारा यह भी राय रही कि ऐसे पाठ्यकम जिनमें आवंटित सीटों में 50प्रतिशत से कम अभ्यर्थी प्रवेश लेते है तो ऐसे पाठ्यकमों को बंद किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

मद संख्याः– (19) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय में पूर्व में पास आउट यदि किस छात्र/छात्रा का रिजल्ट किन्ही कारणवश नही द्योषित किया गया हो अथवा किसी में उनकी बैक हो तो उनके लिए अलग से परीक्षा का आयोजन विद्या परिषद के सदस्यों की अनुमति पर कराने की व्यवस्था हेतु चर्चा एवं निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत है। (I) परीक्षा नियमामली के अनुसार स्नातकोत्तर (MBA) पाठ्यकमों में चार वर्षो तथा (MCA) पाठ्यकमों में पॉच वर्ष की अधिकतम अवधि तय की गई है। यदि कारणवश कोई छात्र इस अवधि में भी उर्त्तीण द्योषित नही होता है तो ऐसे प्रकरण को विद्यापरिषद के निर्णय हेतु प्रस्तुत। इस संदर्भ सत्र 2006–08 का प्रकरण प्रस्तुत है। जिन्होने अंकतालिका एवं उपाधि हेतु विश्वविद्यालय में आवेदन किया है।	सदस्यों को डॉ आशीष उनियाल, उप–कुलसचिव द्वारा इस मद पर अवगत कराया कि यदि किसी छात्र/छात्रा का रिजल्ट किन्हीं कारणवश द्योषित नही किया गया हो अथवा किसी में उनकी बैक हो तो उनके लिये अलग से परीक्षा का आयोजन करवाना उचित रहेगा। सदस्यो द्वारा विस्तृत विचार विर्मश उपरान्त यह सहमति हुई कि विशेष बैक पेपर उन्ही छात्रों का कराया जाय जो कि निम्नलिखित परीधि में आते हो। 1. B.Tech पाठ्यकम हेतु अधिकतम सात वर्ष छात्र/छात्रा को उर्त्तीण होना अनिवार्य है। 2. MCA हेतु पॉच वर्ष। 3. MBA हेतु चार वर्ष।
मद संख्याः– (20) विधि पाठ्यकम के सम्बन्ध में बोर्ड ऑफ स्टडीज की दिनांक 17.08.2012 तथा 18.10.2012 की बैठक की कार्यवृति अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।	अनुपूरक कार्य सूची मद संख्या–20. विचारोपरान्त विधि पाठ्यकमों के सम्बन्ध में दिनांक 17.08.2012 एवं 18.10.2012 को आयोजित Board of Studies (विधि शिक्षा) की बैठकों की कार्यवृतियों का अनुमोदन किया गया। इसी कम में मुख्य कार्य सूची के मद संख्या 16 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों के अनुसार विधि शिक्षा से सम्बन्धित Board of Studies द्वारा दिनांक 26.05.2010 एवं 26.11.2010 को आयोजित बैठकों में लिये गये निर्णयों का भी पुनः अनुमोदन किया गया।
मद संख्याः– (21) DIT को UGC द्वारा स्वायत्ता प्रदान की गयी है जिसके अनुपालन में संस्थान में संचालित विभिन्न पाठ्यकमों से सम्बन्धित Ordinances तैयार कर संस्थान की Academic Council से पारित करा कर अपने पंत्राक दिनांक 29.10.2012 द्वारा विश्वविद्यालय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये है। सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	संस्थान द्वारा प्रेषित विभिन्न पाठ्यकमों से सम्बन्धित Ordinances पर विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।
मद संख्याः– (22)	अनुपूरक कार्य सूची मद संख्या–22(I) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मानद डीन (विधि शिक्षा) न्यायमूर्ति श्री के0डी0 शाही द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26.10.2012 के कम में मुख्य कार्य सूची के मद संख्या 2 में लिये गये निर्णय के संदर्भ में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि, Board of Studies (विधि शिक्षा) द्वारा दिनांक 26.05.2010 में लिये गये निर्णयों के अनुसार विधि पाठ्यकमों के संचालन हेतु बनाये गये Ordinances स्वीकृत किये गये थे जिनका अनुमोदन नवम्बर, 2010 में आयोजित विद्या परिषद की दूसरी बैठक में किया गया था जिसके अन्तर्गत यह

प्रावधान था, कि, अगर कोई छात्र एक वर्ष में पाँच विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है, तो उसे द्वितीय वर्ष में पदोन्नत नहीं किया जायेगा। तद्नुसार उपरोक्त निर्णय उन सभी छात्रों पर पर लागू रहेगा जिन्होंने वर्ष, 2009–2010, 2010–2011 एवं 2011–2012 में विधि शिक्षा हेतु प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था, परन्तु जिन छात्रों ने इस वर्ष अर्थात् वर्ष, 2012–2013 में प्रवेश लिया है, उन सभी छात्रों पर नये Ordinances प्रभावी होंगे। जिसके अनुसार एक वर्ष में तीन विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर उस छात्र को अगले वर्ष पदोन्नत नहीं किया जायेगा। इस निर्णय को विधि शिक्षा हेतु गठित Board of Studies की आगामी बैठकों में भी प्रस्तुत कर सभी विधि विशेषज्ञों के संज्ञान में ला दिया जाये तथा विधि शिक्षा हेतु बनाये गये Ordinances में अपेक्षित संशोधन भी कर दिया जाये।

(II) दिनांक 18.10.2012 को Board of Studies (विधि शिक्षा) द्वारा आयोजित बैठक में Phd. छात्रों को गाइड करने हेतु विधि विशेषज्ञों की एक सूची स्वीकृत की गयी है, जिसे विद्या परिषद् द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदित कर दिया गया। समय–समय पर अनुमोदित सूची में अन्य विधि विशेषज्ञों के नाम जोड़े जाते रहेंगे।

(III) वर्तमान में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत तीन या चार नये विधि संस्थान सम्बद्ध किये गये हैं। जिनमें बहुत कम छात्रों नें विधि पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। मानद डीन (विधि शिक्षा) द्वारा यह सुझाव दिया गया, कि, विभिन्न संस्थानों में कम छात्रों द्वारा दाखिला लिये जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिए किसी एक वरिष्ठ संस्थान में परीक्षायें आयोजित करायी जाये। विचारोपरान्त उपरोक्त सुझाव का अनुमोदन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि, जिन संस्थानों में विधि पाठ्यक्रमों (UG) में 20 या उससे कम छात्रों ने प्रवेश लिया है, उन संस्थानों के छात्रों की परीक्षायें देहरादून मुख्यालय पर स्थित दूसरे किसी ऐसे संस्थान में करायी जाये, जो सबसे वरिष्ठ सम्बद्ध संस्थान हो या जिसमें छात्रों की संख्या सर्वाधिक हो। PG पाठ्यक्रमों हेतु भी यह निर्णय प्रभावी रहेगा।

(IV) मानद डीन (विधि शिक्षा) द्वारा प्रस्तावित Academic calendar पर भी चर्चा की गयी। विचारोपरान्त विधि शिक्षा

	हेतु प्रस्तावित Academic calendar का अनुमोदन किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित Date Sheet के अनुसार विधि परीक्षायें आयोजित करायी जाये। (अ) माननीय कुलपति महोदय द्वारा विशम्बर सहाय लॉ कॉलेज, रूड़की द्वारा सम्बद्धता की प्रत्याशा में LLM. प्रथम वर्ष में कुछ छात्रों को वर्ष, 2010–2011 एवं 2011–2012 में प्रवेश दिया गया है, परन्तु उनकी परीक्षायें आयोजित नहीं करायी गयी। BOS (विधि शिक्षा) के समक्ष इस प्रकरण को प्रस्तुत किया गया कि, उन छात्रों की परीक्षा कब और कैसे करायी जाये। Board of Studies (विधि शिक्षा) द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 18.10.2012 में निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा LLM. पाठ्यकमों हेतु Syllabus वर्ष 2011–2012 में ही बनाया गया है। अतः इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, कि विशम्बर सहाय लॉ कॉलेज, रूड़की की सम्बद्धता वर्ष, 2010–2011 से ही प्रभावी की गयी है, अतः उन सभी छात्रों की परीक्षायें वर्ष, 2012–2013 में प्रवेश पाये छात्रों के साथ इकट्ठी करायी जाये। विचारोपरान्त विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त निर्णय का भी अनुमोदन किया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुये बैठक समाप्ति की धोषणा की।

(अवनीश जैन)
कुलसचिव

(प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान)
कुलपति